Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)

E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

दलितोत्थान हेतु डा. बी.आर. अम्बेडकर की वैचारिकी

डॉ. नौमी प्रिया

असि. प्रो. (समाजषास्त्र)
राजकीय महाविद्यालय, सम्भल

मानव समाज के विकास के क्रम में एक भी ऐसा काल व स्तर नहीं रहा है, जिसमें मानव जीवन से सम्बंधित व्याधियाँ नहीं रही हो और यह भी नहीं कह सकते कि मानव अपने समस्याओं के समाधान के लिए कोषिष न किया हो, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो जो वर्तमान मानव समाज का विकसित स्वरूप दिखाई दे रहा है वह नहीं हुआ होता। प्रत्येक काल व समाज से सम्बंधित समस्याओं के बारे में मानव को चिंतन की आवष्यकता अनुभव हुई और उस पर विचारोपरांत वह समाधान निकालता रहा। सामान्यतः यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने समय और परिस्थिति की उपज होता है। समय और परिस्थिति की सीमाओं में जीवन व्यतीत करना सामान्य व्यक्ति की नियति मानी जाती है, लेकिन प्रत्येक समय एवं समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते है जो समाज के साथ नहीं चलते। वे समाज द्वारा स्थापित व्यवस्था से लाभ उठाने के बजाय उसमें निहित विरोधाभास, षोषण-दमन एवं अन्यायपूर्ण मान्यताओं एवं मूल्यों के विरूद्ध संघर्ष करते हैं तथा रूढ़ीगत वैचारिकी एवं मूल्यों के अनुयायी बनने की अपेक्षा उनमें आधारभूत परिवर्तन के प्रणेता बनते हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर आधुनिक समय के उन चिंतकों में एक थे, जिन्होंने समय एवं समाज की स्थापित व्यवस्था एवं वैचारिकी को अस्वीकार किया।

चूकि डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर तत्कालीन समाज व्यवस्था में अस्पृष्य या अछूत समझी जाने वाली सामाजिक समूह 'महार' जाति में पैदा हुए इसलिए उन्हें अस्पृष्यों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का प्रत्यक्ष व कटु अनुभव था। यहीं कारण है कि मानवता के साथ-साथ दलितोत्थान उनके जीवन का उद्देष्य था। इस संदर्भ में उनकी मान्यता थी "कि यदि बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण के स्थान पर अस्पृष्य जाति में पैदा हुए होते तो वे यह नहीं कहते कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बल्कि वे यह करते कि अस्पृष्यता उन्मूलन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।"1

प्रस्तुत लेख का उद्देष्य दलितोत्थान हेतु डॉ. अम्बेडकर की वैचारिकी का विष्लेषण करना है।
यद्यपि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर स्वयं दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वे डीप्रेस्ड शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ दबाये गये लोगों से था। उन्हीं के अनुसार डीप्रेस्ड क्लास के अंतर्गत वे जातियाँ आती है, जो अपवित्रकारी होती है। इनमें निम्न श्रेणी के कामगार, सेवक जातियाँ तथा डफलीवादक आती है।2 लेख में- "दलित शब्द से अभिप्राय जनसंख्या के उस दमित व षोषित, पीड़ित समूह से है जो परम्परागत आधार पर सामाजिक, आर्थिक अधिकारों से वंचित रहा है।3 पाटनकर एवं ओमवेट ने दलितों के संदर्भ में लिखा है कि - "वे जातियाँ जो रक्त एवं नातेदारी सम्बंधों के आधार पर समाज में परम्परागत रूप से अपवित्र समझे जाने वाले कार्यों को करती आ रही है। अभी तक इनकी दषा बहुत कुछ अर्द्धदास, बंधुआ मजदूर की तरह थी।"4

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलित शब्द का प्रयोग उन जाति समूहों के लिए किया जाता है, जो हिन्दू समाज व्यवस्था में अछूत माने जाते है, जिनकी सामाजिक-आर्थिक, दषा दयनीय है तथा जो मानवीय अधिकारों से सामान्यतः वंचित है।

उत्थान का तात्पर्य दासता, षोषण, उत्पीड़न, अस्पृष्यता, सापेक्षिक वंचना से मुक्ति तथा उसे समाज के मुख्य धारा के समकक्ष लाना। अर्थात जाति भेद से ग्रस्त लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक स्वाभिमानी और स्वावलम्बी जीवन की दषाए प्रदान करना है।

जिस प्रकार महामानव बुद्ध ने चार आर्य सत्य अर्थात - दुनिया में दःुख है, दुःख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण हेतु उपाय है, की स्थापना की उसी प्रकार डा. अम्बेडकर की भी दलितोत्थान के संदर्भ में चार मान्यताएँ थी जो निम्नवत है:-

1. दलित समस्या सामाजिक यर्थाथ है।
2. दलित समस्या कोई प्राकृतिक या ईष्वरीय प्रघटना नहीं हैं बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था की देन है। अर्थात दलित समस्या जाति- व्यवस्था की देन है।

3. दलितो की अछूतपन सहित सभी समस्याओं का उन्मूलन समभव है एवं
4. दलित समस्या उन्मूलन हेतु उपाय है।

दलितोत्थान हेतु डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय समाज की बहिर्वेषन प्रकृति को समावेषन प्रकृति में परिवर्तित करने का न सिर्फ वकालत कियेे बल्कि प्रयास भी करते है। वहिर्वेषन समाज से उनका अभिप्राय वैसे समाज से है जिसमें एक नागरिक समूहों के प्रति अन्य नागरिक समूहों के द्वारा भेदभाव-पूर्ण व घृणास्पद व्यवहार किया जाता है। चूँकि भारत में जाति व्यवस्था के कारण ऊँची जातियों द्वारा दलितों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार सामाजिक रूप से मान्य माना जाता है इसलिए भारतीय समाज की प्रकृति वहिर्वेषन है। दूसरी ओर समावेषित समाज में सभी वर्गो को समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित व्यवहार होता है, इसके लिए न सिर्फ भौतिक संसाधनों का समाज में न्यायपूर्ण वितरण होता है बल्कि नैतिक सामानता भी प्राप्त होती है। अतः कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक एवं नैतिक विविधताओं से युक्त स्वतंत्रता व समानता ही समावेषी समाज की आधारषीला है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर दलितोत्थान की वैचारिकी एवं प्रयास के द्वारा भारतीय समाज को समावेषित समाज बनाने के पक्षधर थे। दलितोत्थान हेतु डॉ. अम्बेडकर के वैचारिकी को निम्न विन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है-

नगर प्रवास-प्रारम्भ में डा. अम्बेडकर दलितोत्थान हेतु दलितों के अलग गाँव में बसाये जाने के हिमायती थे। उनकी मान्यता थी कि जब तक दलित ऊँची जाति के साथ एक ही ग्राम में निवास करेगें तब तक वे भेदभाव पूर्ण व षोषण-दमन के षिकार होते रहेगें। इसलिए दलितों को उनसे अलग गाँव में बसाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन दलितों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इसलिए बाद में अम्बेडकर ने दलितों को षहरों में बसने के लिए प्रेरित किया क्योंकि गाँव की तुलना में षहरों में अस्पृष्यता और भेदभाव की सम्भावना कम होती है। साथ ही नगरों में सामान्य लोगों की पहुँच भी प्रषासन व पुलिस तक आसान होती है। इसलिए षहरों में दलितों पर विषेषकर सामूहिक उत्पीड़न की घटनाएं तुलनात्मक रूप से कम होती है।

गंदे व जातिगत पेषाओं का त्याग:-

डॉ. अम्बेडकर ने दलितो को गंदे अपवित्रकारी व्यवसायों यथा मरे हुए जानवरों को उठाना, उनकी खाल उतारना, मल-मूत्र उठाना, सफाई करना जो प्रथागत रूप से थे, उन्हें करने के लिए बाध्य किये गये थे का त्याग करने की सलाह दी और कार्यालय, फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, निर्माण कार्य आदि क्षेत्रों में कार्य करने की सलाह दी, क्योंकि इन क्षेत्रों में सभी जातियों के लोग संलग्न रहते है साथ ही इन कार्यों को करने के लिए निष्चिित समय एवं पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समय का उपयोग, वे स्वयं व एवं अपने आश्रितों के मानसिक व सांस्कृतिक विकास में लगा सकते हैं।

राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होना:-

डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मन्तव्य था कि दलित समस्या सामाजिक राजनीतिक संरचना से प्रत्यक्ष सम्बद्ध है। उनके अनुसार "दलित समस्या सीधी-सादी अल्पमत की एक शुद्ध राजनीतिक समस्या है।5 डॉ. अम्बेडकर के अनुसार आजाद भारत में राजनीतिक षक्ति ही एक मात्र ऐसा माध्यम है, जिसे दलित प्राप्त कर सकते है बषर्ते कि वे सही रणनीति बनाए। राजनीति के महत्व की ओर इषारा करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति सभी समस्याओं के समाधान की मास्टर चाभी है जिससे प्रगति के सभी रोस्ते खोले जा सकते हैं। राजनीतिक षक्ति प्राप्त करने के बाद वे अपना उत्थान स्वयं कर सकते हैं। जब तक दलितों के हाथों में राजनीतिक षक्ति नहीं आती, तब तक उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ सकता।6 राजनीतिक षक्ति से डॉ. अम्बेडकर का अभिप्राय- "पद या कुर्सी प्राप्त करना और उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं है और न ही षक्ति से अभिप्राय कुर्सी पर बैठकर षासन एवं नीतियों का क्रियान्वयन करना है बल्कि सही मायने में षक्ति नीतियों का निर्धारण करना है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय व सामाजिक हित में निर्णय लिए जाए तथा सत्तासीन लोग सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सामाजिक-आर्थिक संहिता में अवष्यकतानुसार संषोधन के प्रति सचते रहे"7 डॉ. अम्बेडकर राजनीतिक षक्ति प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मार्ग पर जोर देते हैं, क्योंकि संवैधानिक संरचना के इतर षक्ति प्राप्त करने का अभिप्राय हिसांत्मक संघर्ष होता है, जो दलितों की सामाजिक-आर्थिक, स्थिति की दृष्टिगण उचित नहीं है। दलितों को राजनीतिक षक्ति के रूप में संगठित करने के लिए उन्होंने 1936 में "इण्डिपेन्डेंट लेबर पार्टी" का गठन किया। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को कांग्रेस से पृथक रहने की सलाह देते हुए कहा कि अपना अस्तित्व एवं स्वतंत्र संगठन बनाए रखों। इसी उद्देष्य से जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया का गठन करने का विचार किया।

स्वाभिमानी एवं स्वावलम्बि बनाना:-

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि दलित समस्या के समाधान में दूसरों का सहयोग लाभदायक हो सकता है, लेकिन जब तक दलित स्वयं इसके लिए आगे नहीं बढ़ेगें तब तक समस्या का समूल समाधान सम्भव नहीं होगा। उनका मानना था कि "कांग्रेस और गाँधी का हरिजन उद्धार कार्यक्रम एक धोखा है।"8 महाद सत्याग्रह के समय डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को सम्बोधित करते हुए कहा था-"आजादी' किसी को उपहार में नहीं मिलती इसके लिए संघर्ष करना पडता है। आत्म उत्थान अन्य लोगों के आर्षीवाद से नहीं होता, प्रयास, संघर्ष व मेहनत से होता है। "इस प्रकार डा. अम्बेडकर दलितों को स्वाभिमानी और स्वावलम्बी बनाना चाहते थे।

षिक्षित करना:-

डॉ. अम्बेडकर षिक्षा पर विषेष बल देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अज्ञानता ही सभी समस्याओं की जड़ है। अज्ञानता को दूर करने के लिए षिक्षा को वे एक अस्त्र मानते थे, इसीलिए वे कहा करते थे कि षिक्षा षेरनी का दूध है जो पीता है, वह दहाड़ता है लेकिन षिक्षा से अभिप्राय उनका डिग्ग्री हासिल करने से नहीं था बल्कि सही गलत तथा मित्र-षत्रु में भेद करना था। वे मानते थे कि षासक वर्ग की षक्ति आम लोगों की अज्ञानता पर आधारित होती है। वे मुफ्त एवं अनिवार्य षिक्षा के पक्षधर थे ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी षिक्षा प्राप्त कर सके। वे षिक्षा के राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे। षिक्षा के प्रसार हेतु उन्होंने पिपल्स एजुकेषन नामक संस्था बनाई जिसके नेत ृत्व में 28 जून 1946 को मुम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज तथा 1 सितम्बर 1951 को औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर महिला षिक्षा पर विषेष बल देते थे। उनका कहना था कि पुरूषों की तुलना में नारियों की षिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक महिला का षिक्षित होने का मतलब एक परिवार का षिक्षित होना होता है। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने लोगों को षिक्षित बनो/षिक्षित करो का स्लोग्न दिया। डॉ. अम्बेडकर के आह्वान के कारण दलितों में विषेषकर महाराष्ट्र में षिक्षा का विषेष प्रसार हुआ।

संगठन करना:-

डॉ. अम्बेडकर संगठन पर विषेष जोर देते थे। उनका मानना था कि दलित समस्या का समाधान दूसरों के भरोसे नहीं किया जा सकता है। उनकी मान्यता थी कि जाति समाज को तोड़ने के लिए बनाई गयी है और अछूत इसी व्यवस्था के षिकार है। इसलिए सामूहिक समस्या के समाधान हेतु संगठित होना आवष्यक है। उन्होंने दलितों को संगठित करने व उन्हें अलग सामूहिक पहचान प्रदान करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने 193. में ऑल इण्डिया षिड्यूल्ड कास्ट फेडरेषन की स्थापना की। इतना ही नहीं दलितों के हितों व सम्मान की रक्षा हेतु 1927 में दलित युवकों के लिए एक ऐच्छिक संगठन समता सैनिक दल का गठन किया। संगठन को महत्व देने के उद्देष्य से ही उन्होंने लोगों को संगठित करो/संगठति हों का नारा दिया। डॉ. अम्बेडकर के इस स्लोग्न का दलितों पर विषेष प्रभाव पड़ा और वे संगठित होकर कई आंदोलन चलाये।

संघर्ष करना:-

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि आजादी मुफ्त में नहीं बल्कि संघर्ष से मिलती है। मात्र साहनुभूति एवं उपदेष से दलितों पर होने वाले षोषण दमन बंद होने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें आसानी से समानता का अधिकार दे देगें ऐसा सोचना कोरी कल्पना है। महाद आंदोलन के अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा था" आजादी किसी को उपहार में नहीं मिलती उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है आत्म उत्थान अन्य लोगों के आर्षीवाद से नहीं होता बल्कि अपने ही प्रयास, संघर्ष और मेहतन से होता है। संघर्ष के महत्व का इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर का तीसरा महत्वपूर्ण नारा संघर्ष करों का ही है।" सत्य तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के मार्ग से ही आगे बढ़े और समाज के उत्थान के लिए भी आजीवन संघर्ष करते रहे।

समझौता एवं सौदेबाजी –

डॉ. अम्बेडकर को विष्वास था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण व जटिल समाज में सत्ता विषेषकर दलितों के हाथ में केन्द्रित होने की सम्भावना नगन्य है, क्योंकि जातियों के आधार पर अल्पसंख्यक है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक दलितों का बहु-संख्यक हिन्दुओं से हमेषा संघर्ष करना और जीत हासिल करना मुष्किल है। इसलिए वे दलितों को यह बातते थे कि अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक स्तर पर सहयोग व समझौता करना बुराई नहीं है।9 इसी रणनीति के तहत डॉ. अम्बेडकर ने 24 सितम्बर 1932 को महात्मा गाँधी के साथ पूना पैक्ट किया।

धम्म दीक्षा-

डॉ. अम्बेडकर दलितों का सिर्फ सामाजिक-राजनीतिक उत्थान की ही नहीं बल्कि अध्यात्मिक व सांस्कृतिक उत्थान भी चाहते थे। उनका मानना था कि हिन्दू समाज व्यवस्था की संरचना ऐसी है, जिसमें सुधार की सम्भावना कम है। इसीलिए 13 अक्टूबर 1935 को येवला में दलितों की एक आम सभा को प्रबोधन करते हुए कहा था "हिन्दू समाज में जन्म लेना मेरे वष की बात नहीं थी लेकिन हिन्दू धर्म की अपमान जनक एवं षर्मनाक स्थिति में रहने से इंकार करना मेरे वष में है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हिन्दू के रूप में मरूँगा नहीं। उन्होंने हिन्दू धर्म की सड़ी-गली अमानवीय मान्यताओं की ओर इषारा करते हुए कहा कि जब तक इससे मुक्ति नहीं पाओंगे तब तक आत्म उत्थान सम्भव नहीं हैं। वे धर्म को नैतिकता एवं लोक कल्याण का माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि धम्म व्यक्ति के कल्याण के लिए है। न कि व्यक्ति धम्म के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो धर्म मानव-मानव के बीच भेद भाव करता है वह धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए कलंक है। यही कारण है 1955 में डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका साफ मानना था कि दलितों का आत्म सम्मान के साथ जीवन मात्र बौद्ध धम्म में ही सम्भव है।

इस प्रकार हम देखते है कि डॉ. अम्बेडकर का दलितोत्थान हेतु दो धारणाएँ थी- प्रथम सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए संघर्ष तथा सांस्कृतिक, अध्यात्मिक दासता से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म को अंगीकार करना। अतः कहा जा सकता है कि दलितों की परम्परागत दासता से मुक्ति दिलाना डॉ. अम्बेडकर के जीवन का प्रधान उद्देष्य था यदि यह कहा जाए कि डॉ. अम्बेडकर ने दलितोत्थान हेतु न सिर्फ मार्ग बताया बल्कि वे स्वयं उस मार्ग पर चलकर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया तो अतिष्योक्ति नहीं होगी। डॉ. अम्बेडकर का दलितों हेतु अंतिम संदेष चेतावनी के रूप में यह था- ''मैं इस कारवाँ को बहुत ही मुष्किल एवं विपरीत परिस्थिति में यहाँ तक लाया हूँ, सम्भव हो तो इसे आगे बढ़ाते रहना किन्तु किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे मत जाने देना। यह चेतावनी आज भी करोड़ो दलितों को संघर्ष करने व आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।

संदर्भ

1. ऋषि, हरिषचन्द्र, 1989, मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर: डॉ. अम्बेडकर, विद्यायिनी 6(4) पृ. सं. 113 ।
2. कीर, धनंजय, 1981 डॉ. अम्बेडकर: लाइफ एण्ड मिषन्स, बाम्बे पापुलर प्रकाषन, पृ. सं. 118 ।
3. अय्यर, वी. आर. के 1976 अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर्स नई दिल्ली, अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ सोषल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, पृ. सं. 31 ।
4. पाटनकर, पी. बी. एण्ड ओमवेट जी, 1979 ''द दलित लिवरेषन मूवमेन्ट इन कोलोनियल पिरीयड इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली 14 (7-8) पृ. सं. 441 ।
5. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 1979 "षूद्रों की खोज" (हू वेयर द षूद्राज का हिन्दी अनुवाद), लखनऊ, बहुजन कल्याण प्रकाषन पृ. सं. 11. ।
6. जाटव, डी. आर. 1965 द सोषल फिलॉस्फी ऑफ डॉ. अम्बेडकर, नई दिल्ली, बौद्ध साहित्य सम्मेलन, पृ सं. 154 ।
7. भगवान दास (संक) 1968 'दस स्पोक अम्बेडकर (खण्ड-2) जालंधर, बुद्धिस्ट पब्लिषिंग हाउस पृ. सं. 36 ।
8. श्रीवर्धन (अनुवादक) 1979 कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया? (व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स? (हिन्दी अनुवाद) लखनऊ, बहुजन कल्याण प्रकाषन पृ. सं. 172 ।
9. कीर, धनंजय, तदैव पृ. सं. 329 ।